प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

सेवा में

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5वाँ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001

संख्या–208/शि0लि0–जांच–आयोग/2025 दिनांक–27 अगस्त, 2025

विषयः– "निजी विद्यालय बिरौरी गांव बिलग्राम हरदोई के एक शिक्षक ने छात्र को दण्ड स्वरूप मुर्गा बनने को मजबूर किया" जिला हरदोई के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या UP-EBN&77301/2024-25/NCPCR/EDU दिनांक 21.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत "निजी विद्यालय बिरौरी गांव बिलग्राम हरदोई के एक शिक्षक ने छात्र को दण्ड स्वरूप मुर्गा बनने को मजबूर किया जिला हरदोई के द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक हरदोई से करायी गयी। उन्होंने अपनी जांच आख्या दिनांक 24.08.2025 को प्रस्तुत की है। (छायाप्रति संलग्न है।)

अतः पुलिस अधीक्षक हरदोई की जांच आख्या की छायाप्रति संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी (शिकायत)
कृते जिलाधिकारी, हरदोई।

File No. UP-EBN-77301/2024-25/NCPCR/EDU (Computer No. 121203)
Generated from eOffice by Rahul Singh, Rahul Singh, DATA ENTRY OPERATOR, NCPCR on 03/12/2025 07:39 pm

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई।

संख्या-सीए/ग्रपी (डीएम)244/2025 दिनांक-अगस्त २५ ,2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद हरदोई।

कृपया अपने पत्र संख्या- 208/ शि0लि0-जांच-आयोग/ 2025 दिनांक 31.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो "निजी विद्यालय बिरौरी गांव बिलग्राम हरदोई के एक शिक्षक ने छात्र को दण्ड स्वरूप मुर्गा बनने को मजबूर किया" प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों/ तथ्यों की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

सन्दर्भित प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी बिलग्राम को अभिदिष्ट की गयी। क्षेत्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या के अवलोकन से पाया गया कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रन्जना देवी पत्नी राहुल रैदास निवासी ग्राम झालापुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि "प्रार्थिनी का लडका अक्षय कुमार उम्र करीब 10 वर्ष जो ग्राम बिरौरी से मान्टेसरी श्री कल्याणी देवी बाल कल्याण चन्द्र स्कूल से कक्षा 03 मे पढता है। दिनांक 22.02.2025 को समय दिन के करीब 12.30 बजे मान्टेसरी स्कूल के मास्टर पं0 हर्षित कुमार पुत्र रामप्रताप नि0 ग्राम बिरौरी थाना बिलग्राम हरदोई ने मेरे लड़के को पाठ सुनाने के लिये कहा। मेरा लड़का पाठ नही सुना पाया। इस पर मास्टर पं0 हर्षित कुमार के द्वारा जातिसूचक गालियां देते हुये उसके साथ मारपीट की तथा घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में मेरे लड़के के पैर मे काफी चोटे आयी है सूचना को आज आयी हूँ, मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे"। उक्त तहरीर के आधार पर थाना बिलग्राम हरदोई पर दिनांक 28/02/2025 को मु0अ0सं0-101/2025 धारा-115(2)/352/351(3) बीएनएस वं 3(1)ध/ 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट का अभियोग विरुद्ध माण्टेसरी स्कूल के मास्टर पं0 हर्षित कुमार पुत्र रामप्रताप निवासी ग्राम बिरौरी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई के पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी बिलग्राम द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना संकलित साक्ष्य, बयान वादिनी मुकदमा, बयान मजरूब, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन चिकित्सीय रिपोर्ट, बयान गवाहान स्वतन्त्र, अवलोकन एक्स-रे रिपोर्ट, बयान चिकित्सक आदि के आधार पर नामित अभियुक्त हर्षित तिवारी पुत्र रामप्रताप उम्र करीब 25 वर्ष जाति ब्राम्हण (तिवारी) ग्राम बिरौरी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई के विरूद्ध जुर्म धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)घ/ 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट का आरोप बखूबी प्रमाणित होने पर इसका चालान जरिये आरोप पत्र संख्या ए-119/2025 दिनांक 03/04/2025 को किया जा चुका है। अभियोग में घटित अपराध सात वर्ष से कम सजा का होने के कारण बीएनएसएस का धारा 35(3) में निहित प्रावधानानुसार गिरफ्तारी नहीं की गयी है। क्षेत्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी,
निमित्त पुलिस अधीक्षक,
जनपद हरदोई।

File No. UP-EBN-77301/2024-25/NCPCR/EDU (Computer No. 121203)
Generated from eOffice by Rahul Singh, Rahul Singh, DATA ENTRY OPERATOR, NCPCR on 03/12/2025 07:39 pm

सेवा में,
पुलिस अधीक्षक पूर्वी
जनपद-हरदोई।

कृपया अपने आदेश पत्र संख्या-सीए/एसपी(डीएम)-244/2025 दिनांक-31/07/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें,जिसके माध्यम से निजी विद्यालय बिरौरी गांव बिलग्राम हरदोई के एक शिक्षक ने छात्र को दण्ड स्वरुप मुर्गा बनने को मजबूर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो/तथ्यो की जांच कर आख्या प्रेषित किये जाने विषयक है-

आरोपो का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थना पत्र बावत निजी विद्यालय बिलग्राम बिंरौरी हरदोई के शइक्षक द्वारा,बिरौरी गांव,कक्षा 03 के छात्र को शारीरिक दंड देने के कारण बच्चे का पैर फ्रैक्चर होने एवं जातिसूचक अपमानजनक शब्दो से प्रताड़ित करने के सम्बन्ध कतिपय आरोप अंकित।

जांच/निष्कर्ष-

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रन्जना देवी पत्नी राहुल रैदास निवासी ग्राम झाला पुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ,जिसमें उल्लेखित किया गया है कि **"प्रार्थिनी का लडका अक्षय कुमार उम्र करीब 10 बर्ष जो ग्राम विरौरी मे मान्टेसरी श्री कल्याणी देवी बाल कल्याण चन्द्र स्कूल मे कक्षा 03 मे पढता है दिनांक-22.02.2025 को समय दिन के करीब 12.30 बजे मान्टेसरी स्कूल के मास्टर पं० हर्षित कुमार पुत्र रामप्रताप नि० ग्राम विरौरी थाना बिलग्राम हरदोई ने मेरे लड़के को पाठ सुनाने के लिये कहा। मेरा लड़का पाठ नही सुना पाया। इस पर मास्टर पं० हर्षित कुमार के द्वारा जाति सूचक गालिया देते हुये उसके साथ मारपीट की तथा घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट मे मेरे लड़के के पैर मे काफी चोटे आयी है सूचना को आज आयी हूँ,मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे"** उक्त तहरीर के आधार पर थाना बिलग्राम हरदोई पर दिनांक-28/02/2025 को मु0अ0सं0-101/2025 धारा-115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)ध/ 3(2)5ए एससी/ एसटी एक्ट का अभियोग विरुद्ध माण्टेसरी स्कूल के मास्टर पं0 हर्षित कुमार पुत्र रामप्रताप निवासी ग्राम बिरौरी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई के पंजीकृत होकर विवेचना मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना संकलित साक्ष्य,बयान वादिनी मुकदमा,बयान मजरूब,निरीक्षण घटनास्थल,अवलोकन चिकित्सीय रिपोर्ट,बयान गवाहान स्वतन्त्र, अवलोकन एक्सरे रिपोर्ट,बयान चिकित्सक आदि के आधार पर नामित अभियुक्त हर्षित तिवारी पुत्र रामप्रताप उम्र करीब 25 वर्ष जाति ब्राम्हण (तिवारी) ग्राम बिरौरी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई के विरूद्ध जुर्म धारा-115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)ध/ 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट का आरोप बखूबी प्रमाणित होने पर इसका चालान जरिये आरोप पत्र संख्या-ए-119/2025 दिनांक-03/04/2025 को किया जा चुका है। अभियोग में घटित अपराध सात वर्ष से कम सजा का होने के कारण बीएनएसएस का धारा-35(3) में निहित प्रावधानानुसार गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

17.08.25

दिनांक:-अगस्त ,2025

क्षेत्राधिकारी बिलग्राम
जनपद-हरदोई।

File No. UP-EBN-77301/2024-25/NCPCR/EDU (Computer No. 121203)
Generated from eOffice by Rahul Singh, Rahul Singh, DATA ENTRY OPERATOR, NCPCR on 03/12/2025 07:39 pm